

प्रेषक,

निदेशक,

यूपीनेडा, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
जनपद—बांदा।

पत्रांक: ३१९/नेडा-एसई-अवादा इन्डोसोलर प्रा.लि/७० मे.वा/सरकारी भूमि लीज/२०१८ दिनांक २२/८/२०२३

विषय: मैसर्स अवादा इन्डोसोलर प्रा नई दिल्ली द्वारा ऑपेन एक्सेस के अन्तर्गत ७० मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम ०—अलोना, तहसील—पेलानी, जनपद—बांदा में चिन्हांकित ५५.९२६१ एकड़ सरकारी भूमि को सौर ऊर्जा नीति—२०२२ के अन्तर्गत लीज पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अभिकरण के पत्र संख्या २४१८/यूपीनेडा-एसई-ओपेन एक्सेस/३१९/२०१८ दिनांक ०१.०८.२०२३ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मैसर्स अवादा इन्डोसोलर प्रा.लि० नई दिल्ली को स्थापित की जा रही ७० मेगावाट मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना हेतु चिन्हांकित की गयी २२.६३३० हेक्टेयर (५५.९२६१ एकड़) सरकारी भूमि/ग्रामसभा भूमि को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को पट्टे पर उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया है।

उक्त के क्रम में सूचनीय है कि राजस्व अनुभाग द्वारा शासनादेश संख्या ५/२०२३/प्र०स०-५३/एक-१-२०२३-रा०-१ लखनऊ दिनांक १५ मार्च, २०२३ (प्रति सलंगन) निर्गत किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि "उ०प्र० सौर ऊर्जा नीति—२०२२ से आच्छादित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा—७७ (१) की भूमियों को छोड़कर धारा—५९ की उपधारा—२ के खण्ड—(एक), (तीन) तथा (चार) की भूमि को १ रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम ३० वर्ष के लिये पट्टे पर प्रशासकीय विभाग के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जो अपने स्तर से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को उपलब्ध कराया जायेगा"

तत्क्रम में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या १०५०/८७—अति०ऊ०स्रो०वि०/२०२३ दिनांक ०३ अगस्त, २०२३ (प्रति सलंगन) के द्वारा सौर ऊर्जा नीति—२०२२ के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा—निर्देश निर्गत किये हैं।

शासनादेश के बिन्दु संख्या ०१ में उल्लेखित है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र के निवेशकों को रु. १५०००/- प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के लीज रेन्ट पर तथा सार्वजनिक उपक्रमों हेतु रु० १.०० प्रति एकड़/प्रतिवर्ष के सांकेतिक मूल्य पर लीज पर ३० वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

शासनादेश के बिन्दु संख्या ०८ उल्लेखित है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पास जो भूमि उपलब्ध होगी उसे प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर लीज पर दिये जाने के लिए प्रस्तावित की जायेगी। निवेशक द्वारा एक महीने के अन्दर अपनी फाइनेंशियल नेटवर्क, डीपीआर, बैकवर्ड एण्ड फारवर्डलिंकेज तथा अन्य सुसंगत विवरण यूपीनेडा के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद ही उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत लीज डीड निष्पादित की जा सकेगी।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 13 में उल्लेखित है कि निवेशक द्वारा वार्षिक लीज रेन्ट नियमित रूप से अग्रिम के रूप में यूपीनेडा में जमा किया जायेगा।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 14 में उल्लेखित है कि निवेशक से प्राप्त होने वाले वार्षिक लीज रेन्ट को यूपीनेडा द्वारा सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा इस हेतु सभी भूमि का अलग-अलग लेखा बनाकर सुरक्षित रखा जायेगा।

उपरोक्त के कम में 70 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु चिन्हांकित सरकारी भूमि 55.9261 एकड़ लीज पर उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपीनेडा द्वारा लीज रेन्ट की वार्षिक धनराशि रु. 56.00 (रुपये छप्पन मात्र) को राजकोष लेखाशीर्षक "0029—भूराजस्व—800—अन्य प्राप्तियां—08—मालकाना—राजस्व—0806 प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा किया गया है (चालान की मूलप्रति सलंगन।)

अस्तु उपरोक्त के दृष्टिव्य आपसे अनुरोध है कि सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम 0—अलोना, तहसील—पेलानी, जनपद—बांदा में चिन्हांकित सरकारी भूमि 55.9261 एकड़ को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष हेतु पट्टे पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सलंगनक:-यथोक्त।

भवदीय,

०/१ (अनुपम शुक्ला)  
निदेशक, यूपीनेडा।

प्रतिलिपि:- 1. मैसर्स अवादा इन्डोसोलर प्रा.लि नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपम शुक्ला)  
निदेशक, यूपीनेडा।

०/१

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)  
(प्रतर 417 एवं 478 देखिए)धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम :
- पता :
- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या : (यदि आवश्यक हो)
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण : (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
- चालान की सकल राशि :
- चालान की निबल राशि :
- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :
- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड :

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्योरवार-शीर्षक	धनराशि (अंको में
००२९	००	४००	०४	०४०६	५६.८०
					/
					५६.८०

धनराशि (शब्दों में) : (मात्रात्मक रूप से दर्शाया गया है)

चालान में लेखाशीर्षक का पुट करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता को निम्नान्वयों से सहताक्षरण एवं नवीकारणीय उर्जा विकास अभिकरण

संतुष्ट

निवारक

निवारक

निवारक

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या :

HJ 35051

अंको में रु०	५६
शब्दों में रु०	पचास अष्टाव्यास

दिनांक :

